न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2017/00070 (270/2017) 223 आरटीएक्ट

1. लीलूराम
2. कानाराम — पुत्रगण रामेश्वरलाल जाति स्वामी साकिन चारणवासी
3. अमीचन्द — तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सुलतान

—अपीलाण्ट

बनाम

1. सुनील कुमार पुत्र श्री चिरन्जीलाल जाति ब्राहम्ण जरिये मुखत्यार खास श्रीमति मोहिनी पत्नी नरेन्द्र कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी चूरू तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. महावीर प्रसाद पुत्र श्री आदुराम जाति स्वामी निवासी चारणवासी तह0 नोहर।
3. अमरसिंह पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट निवासी फैफाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2016 व संशोधित पर्चा डिक्री दिनांक 15.12.2016 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर प्र0 सं0 181/2008 बअनवानी सुनील कुमार बनाम महावीर प्रसाद

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3
श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 4

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:06 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः- 07.07.21

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 में प्रस्तुत किया। वाद पत्र में रोही मौजा फेफाना के चक 5 केएनएन तहसील नोहर के प0 नं0 340/370 (42) के किला नं. 16 ता 25 /2.530 है0, प0 नं0 340/371 (45) के किला नं. 2/0.228, 3/0.228, 4/0.227, 5/0.227, 6, 7/0.506 14 ता 17/1. 012, प0 नं0 341/371 (46) के किला नं. 9 ता 12/1.012, 19 ता 22/0.012 , प0 न0 371/372 (57) के किला नं. 1/0.215, 2/0.215 प0 न0 340/372 (58) के किला नं. 4/.251, 5/0.211, 66/11 की 0.101, खाता संख्या 87/2 की 0.152 कुल 36 किला की 8.600 हैक्टर मय रास्ता भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मुश्तारका खाता की भूमि होना बताया एवं वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने हक व हिस्सा के अनुसार भूमि का खाता लगान अलग अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का अनुतोष मांगा। मौका कमीश्नर की रिपोर्ट मंगवाई गई एवं उभयपक्षों ने तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत तकसीम रिपोर्ट के अनुसार खाता व लगान अलग अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के मध्य कोई एतराज न होने के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया एवं जिससे व्यथित हेकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कतई मनमाना विधि की अवहेलना में पारित किया गया है। मौका कमिश्नर तहसीलदार नोहर को यह निर्देश दिये गये थे कि राजस्व मण्डल के नियम 1955 के नियम 18 ता 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव भेजे, मगर तहसीलदार ने उक्त नियमों की पालना ना करते हुए कोई नक्शा मौके पर जाकर तैयार नहीं करते हुए बिना नक्शा मौका के विभाजन प्रस्ताव अदालत में पेश किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को अच्छी किस्म की भूमि विभाजन प्रस्ताव में दी गई

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:06 IST
Reason: SelfAttested

है जबकि अपीलाण्ट को घटिया भूमि दी गई है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलाण्ट को कोई सूचना व नोटिस नही दिये गये। विभाजन प्रस्ताव पर कोई एतराज प्रतिवादीगण से प्राप्त नहीं किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारान को कोई सूचना दिये वगैर उसकी सहमति मानते हुए निर्णय पारित किया गया है। जो लोकअदालत की भावना के खिलाफ है। मियाद बिन्दू पर कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का अपीलाण्ट को पटवारी हल्का से ज्ञान हुआ है उसे पहले ज्ञान नही था ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। डिले कन्डोन की जावे एवं अत अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2018 पेज नं. 676, आरआरओ 2003 (3) पेज 777, आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरडी 1995 पेज 475 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के अधिवक्तागण ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते समय अपीलाण्ट के अधिवक्ता उपस्थित रहे हैं। इसलिए अपीलाण्ट यह नहीं कह सकता की उसको अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का ज्ञान नहीं था। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना हो चुकी है। विवादित भूमि पर निर्णय अनुसार शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे हें अपीलाण्ट ने यह अपील लालचवश एवं रेस्पोडेण्ट को परेशान करने के लिए पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्तागण ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 483 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वाा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी सशपथ नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:06 IST
Reason: SelfAttested

8. अपीलाण्ट का कथन है कि उसे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का ज्ञान नहीं था उसने इसका ज्ञान पटवारी हल्का से होना बताया। जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायलाय में उपस्थित रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट के इस तर्क में कोई सार नहीं है की अपीलाधीन निर्णय का उसे ज्ञान नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट मियाद बिन्दू पर खारिज किये जाने योग्य है।
9. उपरौक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील मियाद बिन्दू पर खारिज की जाती है उपखण्ड अधिकारी नोहर के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2016 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 15.12.2016 यथावत रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 01.07.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

7/7/21

(करतार सिंह पूनिया आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:06 IST
Reason: SelfAttested